

## उदाहरण

### उदाहरण I

समग्र केसीसी सीमा – रु.2.5 लाख

फसल ऋण के अंतर्गत सीमा – रु.1.5 लाख

मत्स्य पालन और / या पशुपालन के लिए केसीसी संबंधी उप-सीमा – रु.1 लाख

ब्याज सबवेंशन / पीआरआई लाभ समग्र रूप से रु.2.5 लाख पर उपलब्ध होगा अर्थात

- रु.1.5 लाख (फसल ऋण) + रु.1 लाख (मत्स्य पालन और / या पशुपालन)

### उदाहरण II

समग्र केसीसी सीमा - रु.3 लाख

फसल ऋण के अंतर्गत सीमा – रु.0.5 लाख

मत्स्य पालन और / या पशुपालन के लिए केसीसी संबंधी उप-सीमा – रु.2.5 लाख

ब्याज सबवेंशन / पीआरआई लाभ समग्र रूप से रु.2.5 लाख पर उपलब्ध होगा अर्थात

- रु.0.5 लाख (फसल ऋण) + रु.2 लाख (मत्स्य पालन और / या पशुपालन)

### उदाहरण III

समग्र केसीसी सीमा - रु.4 लाख

फसल ऋण के अंतर्गत सीमा – रु.1.75 लाख

मत्स्य पालन और / या पशुपालन के लिए केसीसी संबंधी उप-सीमा – रु.2.25 लाख

ब्याज सबवेंशन / पीआरआई लाभ समग्र रूप से रु.3 लाख पर उपलब्ध होगा अर्थात

- रु.1.75 लाख (फसल ऋण) + रु.1.25 लाख (मत्स्य पालन और / या पशुपालन)

### उदाहरण IV

समग्र केसीसी सीमा - रु.4.5 लाख

फसल ऋण के अंतर्गत सीमा - रु.2 लाख

मत्स्य पालन और / या पशुपालन के लिए केसीसी संबंधी उप-सीमा – रु.2.5 लाख

ब्याज सबवेंशन / पीआरआई लाभ समग्र रूप से रु.3 लाख पर उपलब्ध होगा अर्थात

- रु.2 लाख (फसल ऋण) + रु.1 लाख (मत्स्य पालन और / या पशुपालन)

### उदाहरण V

समग्र केसीसी सीमा - रु.4 लाख

फसल ऋण के अंतर्गत सीमा - रु.3.15 लाख

मत्स्य पालन और / या पशुपालन के लिए केसीसी संबंधी उप-सीमा – रु.0.85 लाख

ब्याज सबवेंशन / पीआरआई लाभ समग्र रूप से रु.3 लाख पर केवल फसल ऋण घटक के लिए उपलब्ध होगा

\*\*\*\*\*